राजस्थान सरकार
भू प्रबन्ध विभाग

क्रमांक:भूप्रआ/सम्/भूकर/11/14/1/91-92/ 1203 जयपुर, दिनांक:- 16.5.2000

-परिपत्र-

विभाग द्वारा सर्वेक्षण/तरमीम के दौरान सामान्यतः भू-सम्पदा मानचित्र बनाने के लिए प्रत्येक सर्वेक्षक को भूमि/धरातल पर पाई जाने वाली सीमाओं को ध्यान में रखकर क्षेत्र पुस्तिका में अंकन करना होता है। क्षेत्र पुस्तिका से मानचित्र तैयार करते समय उन सभी सीमाओं का चित्रांकन/रेखांकन निर्धारित शीट पर करना होता है, परन्तु इन सीमाओं में कई ऐसी सीमायें भी होती हैं जिनको काश्तकार अपनी सुविधा हेतु धरातल पर बना लेता है, लेकिन उन सीमाओं का कोई वैधानिक आधार नहीं होता है, जैसे-एक खेत में चार भाईयों के आपसी बंटवारे से बनाई गई सीमायें या किसी अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमीत भूमि की सीमायें आदि।

इस निमित पूर्व में दिये गये आदेशों को निरस्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि भविष्य में भू-प्रबन्ध संक्रियाओं के अधीन दी जाने वाली तहसीलों में सर्वे/तरमीम करते समय ऐसी कोई भी सीमा जिनका कि कोई वैधानिक आधार न हो मानचित्र में नहीं दर्शायी जावे। साबिक मानचित्र एवं जमाबन्दी की सहायता से ऐसा किया जाना सम्भव है। मानचित्र तैयार करते समय केवल वैधानिक सीमाओं को ही पुख्ता किया जावे। अगर मानचित्र में अवांछित सीमायें रेखांकित करली गई हैं तो मानचित्र पर सीमाओं को पुख्ता करते समय उन्हें हटा दिया जावे। यह भी ध्यान रखा जावे कि ऐसी अवांछित सीमाओं द्वारा स्वसृजित खेतों के परचे भी वितरित न किये जावें।

विकास कार्यों के क्रियान्वयन से धरातल पर यदि कोई सू पुख्ता परिवर्तन जैसे-सड़कें, कुए, भवन आदि परिवर्तित किये गये हैं तो उनका अंकन/रेखांकन मानचित्र में अवश्य किया जावे।

राजकीय एवं सार्वजनिक भवन, औद्योगिक प्रतिष्ठान, व्यावसायिक व राजकीय भूमि/सिवायचक/चरागाह आदि की सीमाओं को पूर्णतः ही दर्शाया जावे। इन आदेशों की पालना किया जाना अनिवार्य है।

(डा. राजबहादुर सिंह)
भू-प्रबन्ध आयुक्त,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक-समसंख्यक/ दिनांक:-

प्रतिलिपि:-(1) शासन सचिव, राजस्व को सूचनार्थ।

(2) भू-प्रबन्ध अधिकारी-जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, सीकर, टोंक, अलवर, भरतपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, कोटा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भू-प्रबन्ध आयुक्त,
राजस्थान, जयपुर।

राजेन्द्र/